भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 380
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनआरएलएम के तहत स्वयं-सहायता समूह

380. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एनआरएलएम के अंतर्गत सक्रिय स्वयंसहायता समूहों की संख्या कितनी है, तथा इसके माध्यम से लाभान्वित महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ग) महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत प्रदान की गई विशेष योजनाओं या वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में एनआरएलएम के प्रभावी कार्यान्वयन में सरकार के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने स्वयंसहायता समूहों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु कोई निगरानी तंत्र या मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है, और यदि हाँ, तो उसकी संरचना क्या है, और

(च) ग्राम स्तर पर एनआरएलएम के डिजिटल कार्यान्वयन हेतु विकसित पोर्टल, ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम क्या हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसे जून,

2011 में शुरू किया गया था। इसे पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें तब तक निरंतर पोषित और सहायता प्रदान करना है, जब तक कि समय के साथ उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि न हो जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार न हो जाए और वे अत्यंत गरीबी से बाहर न आ जाएं। अब तक देश में 10.05 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है।

ख) छत्तीसगढ़ में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 2.79 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं और वर्तमान में राज्य भर में लगभग 29.78 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुई हैं।

ग) महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत प्रदान की गई विशेष योजनाओं और वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

i) स्टार्ट-अप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एक उप-योजना है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने में स्वयं सहायता समूहों और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। एसवीईपी में सामुदायिक उद्यम निधि के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को उद्यम स्थापित करने की लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सहायता देने का प्रावधान है, जबकि शेष लागत का योगदान लाभार्थी द्वारा अपनी बचत या बैंक ऋण से किए जाना अपेक्षित है। एसवीईपी के अंतर्गत 30 जून 2025 तक 3.74 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गयी है।

i i) सूक्ष्म उद्यम विकास (एमईडी): यह उप-घटक वित्त, कौशल विकास और बाजार संपर्क तक पहुंच बना कर के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देने पर केंद्रित है, जिससे लघु-स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। एमईडी घटक के अंतर्गत 30 जून 2025 तक 63,000 उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

i i i) वन स्टॉप सुविधा (ओएसएफ): ओएसएफ उप-घटक का उद्देश्य विकास-चरण वाले सूक्ष्म उद्यमों को उन्नत सहायता प्रदान करना है। इसमें अनुपालन में सहायता, बड़े बाजारों तक पहुंच, बैंक ऋण, उत्पाद विकास और मानकीकरण शामिल हैं। ओएसएफ के अंतर्गत 30 जून 2025 तक 88,000 उद्यमों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

iv) इंक्यूबेटर: इनक्यूबेटर पहल को प्रत्येक राज्य में 100-150 मौजूदा महिला-स्वामित्व वाले या महिलाओं के नेतृत्व वाले विकासोन्मुख उद्यमों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे अनुकरणीय मॉडल तैयार किए जा सकें। चयनित उद्यमों को व्यापक मार्गदर्शन और पारिस्थितिकी तंत्र सहायता प्रदान की जाती है। इस पहल के तहत 30 जून 2025 तक 600 उद्यमों को सहायता दी गई है।

v) क्लस्टर विकास कार्यक्रम: इस घटक का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और बाजार जोखिम को कम करने के लिए तालमेल और साझा संसाधनों का लाभ उठाकर सामूहिक विकास को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम बाजार क्षमता वाले कारीगरों और क्षेत्र-विशिष्ट समूहों को सहायता प्रदान करता है तथा व्यापार योजना, संपर्क, वित्तपोषण और कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 30 जून 2025 तक इस पहल के अंतर्गत 11,000 उद्यमियों/कारीगरों वाले 21 क्लस्टरों को सहायता प्रदान की गई है।

vi) आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई): एजीईवाई का उद्देश्य दूरदराज के गांवों में सुरक्षित, किफायती और समुदाय-निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण परिवहन संपर्क को बढ़ाना है। यह योजना स्वयं सहायता समूह के सदस्यों या समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) को ग्रामीण परिवहन के लिए वाहन रखने और चलाने में सक्षम बनाती है। एजीईवाई के अंतर्गत कुल 2297 वाहन स्वीकृत किए गए हैं।

vii) पूंजीकरण सहायता 20,000-30,000 रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह की दर से परिक्रामी निधि (आरएफ) के रूप में तथा 2,50,000 रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह की सीमा तक सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के रूप में प्रदान की जाती है, ताकि उद्यमशील उपक्रमों सहित आय सृजन और आजीविका गतिविधियों को सहायता दी जा सके। 30 जून 2025 तक स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों को 58714.44 करोड़ रुपये की पूंजीकरण सहायता प्रदान की गई है।

घ) डीएवाई-एनआरएलएम एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन पहल है, जिसने देश भर के 745 जिलों के 7,145 ब्लॉकों तक अपनी पहुंच बढ़ा ली है। अब तक मिशन ने 10.05 करोड़ ग्रामीण गरीब महिला परिवारों को संगठित कर उन्हें 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया है। ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाने की प्रक्रिया सतत् चलती रहती है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में संतृप्ति प्राप्त करना है।

ड़.) जी हां, सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए डीएवाई-एनआरएलएम गतिविधियों के समग्र कार्यान्वयन पर नज़र रखने और उसके मूल्यांकन करने के लिए निगरानी तंत्र बनाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

1. **एमआईएस डेटा के माध्यम से निगरानी:** डीएवाई-एनआरएलएम में एक केंद्रीकृत एमआईएस है जिसमें ब्लॉक स्तर से ही डेटा प्रविष्टि कर सकते है। एमआईएस डेटा का उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।
2. **एसआरएलएम के साथ समीक्षाएं:** सभी राज्यों के कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रशासन के वरिष्ठ स्तर पर तिमाही आधार पर की जाती है। यह आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक सतत व्यवस्था है।
3. **निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक (पीआरसी)**: मंत्रालय की पीआरसी बैठकों के दौरान राज्य टीमों के साथ अर्ध-वार्षिक आधार पर कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा भी की जाती है।
4. **राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर, सामान्य समीक्षा मिशन** और मंत्रालय के अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। क्षेत्रीय दौरों के बाद, जांच-परिणामों/कमियों और सिफारिशों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है ताकि उनके स्तर पर उचित कार्रवाई की जा सके।

मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के समग्र प्रभाव को समझने के लिए कई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए हैं। विश्व बैंक के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव मूल्यांकन पहल (3i e) द्वारा 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया। इस मूल्यांकन में 9 राज्यों को शामिल किया गया, जिनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 27,000 उत्तरदाता और 5,000 स्वयं सहायता समूह शामिल थे। मूल्यांकन से पता चलता है कि मिशन में 2.5 वर्षों के अतिरिक्त अनुभव के परिणामस्वरूप:

i. आधार राशि से आय में 19% की वृद्धि।
ii. अनौपचारिक ऋणों की हिस्सेदारी में 20% की गिरावट
iii. बचत में 28% की वृद्धि
iv. श्रम बल भागीदारी में सुधार - उपचार क्षेत्रों में द्वितीयक व्यवसाय की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं का अनुपात अधिक (4%) है।

v. अन्य योजनाओं तक बेहतर पहुंच - उपचार प्राप्त करने वाले परिवारों द्वारा प्राप्त सामाजिक योजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (2.8 योजनाओं के आधार मूल्य से 6.5% अधिक)।

ये सभी निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया महत्वपूर्ण कदम है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यक्रम प्रभावी रूप से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तक पहुंच रहा है और उन्हें लाभान्वित कर रहा है। इस निरंतर प्रयास से कार्यक्रम में साक्ष्य-आधारित सुधारों में भी सहायता मिलती है।

च) एनआरएलएम के अंतर्गत डिजिटल पहल के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर निम्नलिखित ऐप्स और पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है।

i. लोकोएस ऐप और ***lokos.in*** वेब पोर्टल

ii. वीपीआरपी ऐप